भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3426
दिनांक 12.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के तहत प्रमुख क्षेत्रों की पहचान

†3426. श्री राजेश वर्माः
श्री अतुल गर्गः
श्री अरुण भारतीः
श्रीमती शांभवीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) केंद्रीय बजट 2026-27 में जल शक्ति मंत्रालय को आवंटित 94,808 करोड़ रुपये के बढ़े हुए बजट आवंटन के लिए चिह्नित प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन-कौन से हैं।
(ख) विशेष रूप से जल जीवन मिशन (जेजेएम) जैसे अग्रणी कार्यक्रमों के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2026-27 के आवंटन की तुलना वित्तीय वर्ष में 2025-26 के संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय की कितनी है;
(ग) क्या वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान निधि उपयोग और परियोजना कार्यान्वयन में सुधार के लिए विशिष्ट उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और
(घ) क्या वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवंटन, विशेष रूप से बिहार के खगड़िया, समस्तीपुर और जमुई लोक सभा क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद लोक सभा क्षेत्र में, जल सुरक्षा, सार्वभौमिक कवरेज और संधारणीयता के दीर्घकालिक उद्देश्यों के अनुरूप है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): केंद्रीय बजट 2026-27 में, जल शक्ति मंत्रालय को 94,808 करोड़ रुपये का प्रस्तावित आवंटन किया गया है, जिसमें से 67,670 करोड़ रुपये का आवंटन जल जीवन मिशन (जेजेएम) के लिए आवंटित किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय की अन्य प्रमुख पहलों

में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), नमामि गंगे कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना आदि शामिल हैं।

यह आवंटन वित्त मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के समग्र बजटीय फ्रेमवर्क के आधार पर किया गया है। जेजेएम के लिए वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए बजट अनुमान (बीई) और संशोधित अनुमानों (आरई) का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	**बजट अनुमान (बीई) (करोड़ रुपये में)**	**संशोधित अनुमान (आरई) (करोड़ रुपये में)**
2025-26	67,000	17,000
2026-27	67,670	–

(ग): वित्त वर्ष 2026-27 से, जेजेएम के तहत निधियां एसएएनए-स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से योजना-वार दी जाएगी, जिससे बेहतर ट्रैकिंग और निधियों का समुचित उपयोग संभव हो सकेगा। इसके अलावा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के रूप में *सुजलम भारत* मॉड्यूल को ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजना के प्रत्येक सेवा क्षेत्र को सुजल गांव आईडी के रूप में एक विशिष्ट आईडी प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है, जो स्रोत से पारिवारिक नल कनेक्शन तक योजनाओं की एंड-टू-एंड मैपिंग का प्रतिनिधित्व करता है। इन उपायों का उद्देश्य पारदर्शिता को सुदृढ़ करना, निगरानी करना और योजनाओं का समय पर कार्यान्वयन करना है।

(घ): माननीय वित्त मंत्री ने बढ़े हुए परिव्यय के साथ 2028 तक जेजेएम के विस्तार की घोषणा की है। जेजेएम के विस्तारित चरण में "जनभागीदारी" के माध्यम से बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्थिरता और नागरिक केंद्रित जल सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अलग-अलग समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि आवंटन जेजेएम के मौजूदा कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

*****